निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या 02/2013 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री महेन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक चौमू ।

प्रार्थी

बनाम

मेसर्स सुनीता देवी उचित मूल्य दुकान वार्ड नं॰ 24 नगर पालिका चौमू, जिला, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले 220 लीटर नीला करोसीन तेल को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री के॰ डी॰शर्मा एवं श्री सी॰ एस मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 3.10.2013

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2013 को उपखण्ड अधिकारी चौमू को मिली शिकायत के कम में मैसस सुनीता देवी उचित मूल्य दुकान वार्ड नं॰ 24 नगर पालिका चौमू जिला जयपुर की जांच की गई। डीलर से दुकान खुलवा कर डीलर के पति श्री मोहन लाल यादव की उपस्थिति में जांच की गई। वक्त जांच केरोसीन का प्रारम्भिक स्टॉक 310 लीटर था तथा दुकानदार द्वारा केरोसीन तेल का वितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार दुकान में 310 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। जबकि भौतिक सत्यापन करने पर 90 लीटर केरोसीन तेल पाया गया । दुकान पर उपस्थित श्री मोहन लाल यादव से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 220 लीटर केरोसीन दुकान से सटे मकान में रखा हुआ है। मकान का निरीक्षण करने पर उसमे 220 लीटर केरोसीन तेल रखा हुआ पाया गया जो नियम विरूद्व है। डीलर द्वारा प्राधिकृत व्यापार स्थल से अलग स्थल पर केरोसीन तेल का भण्डारण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लघन है। मौके पर पाये गये 220 लीटर नीला केरोसीन तेल को जब्त सरकार किया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्री हरिमोहन शर्मा पुत्र स्व॰ श्री मिट्ठू लाल शर्मा उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं॰ 8, नगरपालिका चौमू की सिपुर्दगी में दिया गया। अतःजब्तशुदा 220 लीटर नीला केरोसीन तेल को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं नीला केरोसीन तेल ज्वलनशील, उड्डनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का इस्तदुआ किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 15955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त नीला केरोसीन तेल ज्वलनशील,उड्डनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरित निस्तारण के आदेश दिनांक 11.02.2013 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जब्त

केरोसीन तेल को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को ज़ारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री के॰ डी॰ शर्मा एवं श्री सी॰ एस॰ मिश्रा ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दौराने निरीक्षण मौके पर वक्त जांच केरोसीन का प्रारम्भिक स्टॉक 310 लीटर था तथा दुकानदार द्वारा केरोसीन तेल का वितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार दुकान में 310 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। जबकि भौतिक सत्यापन करने पर 90 लीटर केरोसीन तेल ही पाया गया । दुकान पर उपस्थित श्री मोहन लाल यादव ने बताया कि 220 लीटर केरोसीन दुकान से सटे मकान में रखा हुआ है। मकान का निरीक्षण करने पर उसमे 220 लीटर केरोसीन तेल रखा हुआ पाया गया जो नियम विरूद्व है। डीलर द्वारा प्राधिकृत व्यापार स्थल से अलग स्थल पर केरोसीन तेल का भण्डारण कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः जब्तशुदा 220 लीटर नीला केरोसीन तेल को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि दिनांक 05.01.2013 को अप्रार्थी की दुकान पर केरोसीन तेल का स्टॉक 310 लीटर था। निरीक्षण के समय उक्त स्टॉक सही पाया गया है। अप्रार्थिया की दुकान श्रीमती गुलाब देवी के मकान में स्थित थी। उक्त दुकान जीर्णशीर्ण हालत में होने से दुकान में मरम्मत का काम होना था। जिस पर मकान मालिक के कहने पर एक ड्रम केरोसीन का तेल पास में सटी हुई दुकान में मजबूरन रखवाना पड़ा। उक्त संलग्न दुकान जिसमें एक ड्रम केरोसीन तेल था निरीक्षणकर्ताओं को उक्त तथ्य मौके पर बताया था, लेकिन निरीक्षणकर्ताओं ने अवैद्य व मनमानी कार्यवाही कर उक्त नीले केरोसीन तेल को अभिग्रहित कर लिया जबकि अप्रार्थी के यहां केरोसीन तेल का स्टॉक उसके दैनिक लेखों के अनुसार सही था और अभिग्रहित किया गया केरोसीन तेल किसी भी अपराध से संबंधित नहीं था। अप्रार्थिया का उक्त के पीछे किसी प्रकार की बदनियति व मनःस्थिति नहीं थी। अतः अप्रार्थिया का जब्त केरोसीन तेल 220 लीटर या उससे विक्रीत राशि अप्रार्थिया को लौटाई जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 05.01.2013 का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन किये जाने पर स्टॉक के अनुसार 310 लीटर नीला केरोसीन तेल होना चाहिये था, जिसमें से 90 लीटर केरोसीन व्यवसाय स्थल पर एवं 220 लीटर केरोसीन पास की अन्य दुकान में रखा पाया गया है। इस प्रकर 220 लीटर केरोसीन तेल व्यवसाय स्थल से भिन्न स्थान पर रखा पाया गया है। जिसका कारण व्यापार स्थल में दर्शाई गई जगह की मरम्मत किया जाना बताया है। यदि व्यवसाय स्थल पर मरम्मत का कार्य हो रहा था, तो सम्पूर्ण केरोसीन तेल अन्य दुकान पर होना चाहिये था। जबकि 90 लीटर केरोसीन स्वयं की निर्धारित दुकान पर एवं 220 लीटर व्यवसाय स्थल से भिन्न पास की अन्य दुकान पर रखा पाया गया है जो स्वतः अप्रार्थी की मनः स्थिति एवं बदनियति को दर्शाता है। इसलिए जब्त नीले केरोसीन तेल को राजसात (Confiscate) किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त शुदा 220 लीटर नीला केरोसीन तेल को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।
9. जिला रसद अधिकारी जयपुर क्षितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 220 लीटर नीला केरोसीन तेल का अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 11.02.2013 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करे।
10. पनिर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर